पत्रिका

हाईकोर्ट: बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग और सुविधाओं पर सुनवाई

नाराज चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता से कहा- आप स्टेटमेंट दे दीजिए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

बिलासपुर. चकरभाठा स्थित बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सहित अन्य विकास कार्यों में की जा रही लेटलतीफी पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस जमकर नाराज हुए। सुनवाई के दौरान सीजे ने महाधिवक्ता से कहा आप स्टेटमेंट दे दीजिए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम दोनों पीआईएल खत्म कर देंगे। सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब और अफसरों की बॉडी लैंग्वेज देखकर तो यही लगता है कि आप लोगों में काम करने की इच्छाशक्ति ही नहीं है। एयरपोर्ट के विकास को लेकर अधिवक्ता संदीप दुबे और कमल दुबे की जनहित याचिका पर एकसाथ सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने डिवीजन बेंच को बताया कि एयरपोर्ट की हालत में सुधार नहीं है। यात्री सुविधाओं के लिए कराए जा रहे कार्यों में लेटलतीफी और गैर जिम्मेदारी पर चीफ जस्टिस का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत से कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अफसर काम नहीं कर रहे हैं। शेष @पेज 9

बिलासपुर का भाग्य कभी जागेगा?

नाराज सीजे ने चीफ सेक्रेटरी और केंद्रीय रक्षा सचिव को तलब करते शपथ पत्र के साथ जानकारी मांगी। सीजे ने कहा- अफसरों की बॉडी लैंग्वेज देखकर नहीं लगता कि काम करने की इच्छा शक्ति है। जब सुनवाई होती है तब जवाब के लिए समय मांगा जाता है। एजी से कहा कि आप बोल दीजिए यह हमसे नहीं हो पाएगा। सीजे ने यह भी कहा कि बिलासपुर का भाग्य कभी जागेगा, कोई सरकार कुछ कर सकेगी?

26/07/2025 | Raipur City | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/